राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2025 6–ए

सरकार जरिये मीनाक्षी मीणा प्रवर्तन निरीक्षक भीलवाड़ा –अपीलार्थी

बनाम

शंभुलाल आचार्य पुत्र छोटूलाल आचार्य निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा मालिक शिवशक्ति बेट्री एण्ड इलेक्ट्रिकल्स हमीरगढ़ –रेस्पोडेण्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विनोद कुमार आचार्य, अधिवक्ता विपक्षी की ओर से

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निणर्य

दिनांक :– 09/02/2026

प्रार्थी द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 6–ए अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान के तहत जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के नेतृत्व में गठित टीम श्री विक्रान्त मथुरिया, प्रवर्तन निरीक्षक श्री विनोद मीना शामिल थे। दिनांक 28/11/2024 को समय सायं 5.00 बजे हमीरगढ़ स्थित शिव शक्ति बेट्री एण्ड इलेक्ट्रिकल्स का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर श्री शंभुलाल आचार्य पुत्र श्री छोटूलाल आचार्य निवासी हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा मिले जिन्होंने स्वयं को शिव शक्ति बेट्री एण्ड इलेक्ट्रिकल्स का मालिक होना बताया। मौके पर **08 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) एवं 02 रिफिलिंग मशीन** का अवैध भण्डारण पाया गया। मौके पर श्री शंभुलाल आचार्य द्वारा गैस सिलेण्डर के कागजात पेश नहीं किए गए। मौके पर गैस सिलेण्डर एवं गैस रिफिलिंग मशीन की मौजूदगी से स्पष्ट है कि श्री शंभुलाल आचार्य द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कृत्य किया जाकर एलपीजी ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाता है, अतः वजह सबूत श्री शंभुलाल आचार्य के कब्जे से 08 घरेलू, गैस

9.2.26

अति जिला कलक्टर भीलवाड़ा

सिलेण्डर एवं 02 रिफिलिंग मशीन जब्त सरकार किया जाकर बालाजी भारत गैस हमीरगढ़ के कार्मिक श्री सुरेश मुन्दडा पुत्र श्री बिहारीलाल मुन्दडा निवासी हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा को संभलाये गये।

अतः कार्यवाही सम्बन्धी पत्रादि प्रस्तुत कर निवेदन है कि आरोपी श्री शंभुलाल आचार्य पुत्र श्री छोटूलाल आचार्य निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा मालिक शिवशक्ति बेट्री एण्ड इलेक्ट्रिकल्स हमीरगढ़ के कब्जे से जब्त किये गये 08 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 02 रिफिलिंग मशीन को राजसात करने का आदेश फरमायें। चूंकि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक है तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस ज्वलनशील, उड़नशील एवं विस्फोटक पदार्थ है एवं गैस सिलेण्डर, रिफिलिंग मशीन आदि के खराब होने की संभवना है, अतः प्रकरण में अन्तरिम निस्तारण का आदेश भी फरमायें।

प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रार्थी की ओर से राजकीय पक्ष उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विवेचन उपरान्त पाया गया कि प्रस्तुत किए गए फर्द निरीक्षण, फर्द जब्ती व फर्द सुपुर्दगी की छायाप्रति अनुसार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का अन्य रूप से कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये **Overall 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 14.2 किग्रा. एलपीजी, 02 गैस रिफिलिंग मशीन** को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा **Overall 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 14.2 किग्रा. एलपीजी, 02 गैस रिफिलिंग मशीन** को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा सामग्री का अन्तिम निस्तारण कर जरिये निलामी (बाजार दर से कम नही होना चाहिये) राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.2.26
(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)